Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

142-2015/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 10, 2015 (SRAVANA 19, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 अगस्त, 2015

संख्या एम0आई0एस0सी0–1ए/जे0ई0 (वी0ए0)/2015/14650.—पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 25 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या एम0–57/2014/21063, दिनांक 3 सितम्बर, 2014 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965, को हरियाणा राज्यार्थ आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 में, अनुसूची IV के स्थान

पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

"अनुसूची IV

{देखिए नियम 26 घ (छ)}

राज्य में नियन्त्रित क्षेत्रों में परिवर्तन प्रभार की दरें

(रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से)

क्षमता जोन	अति उच्च क्षमता			उच्च क्षमता			मध्यम क्षमता			निम्न क्षमता		
1	2			3			4			5		
नियन्त्रित क्षेत्र के नाम	गुड़गांव–मानेसर नगरीय कम्पलैक्स की विकास योजना का भाग रूप बनने वाले नियन्त्रित क्षेत्र ।			गुड़गांव मानेसर नगरीय कम्पलैक्स की विकास योजना का भाग रूप बनने वाले नियन्त्रित क्षेत्र तथा पटौदी तथा फरूखनगर की विकास योजना का भाग रूप बनने वाले नियन्त्रित क्षेत्र के सिवाय जिला गुड़गांव में घोषित नियन्त्रित क्षेत्र किन्तु इसमें सोहना विकास योजना का भाग, फरीदाबाद– बल्लभगढ़ कम्पलैक्स के नियन्त्रित क्षेत्र, सोनीपत –कुण्डली मल्टी फंक्शनल शहरी कम्पलैक्स, पानीपत के नियन्त्रित क्षेत्र, तथा पंचकूला के परिधि नियन्त्रित क्षेत्र।			विकास योजना करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला शहर, अम्बाला, छावनी, यमुनानगर, जगाधरी, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, बावल – धारूहेड़ा कम्पलैक्स, गन्नौर, पलवल, होडल नगरों के इर्द–गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र, जिला फरीदाबाद (फरीदाबाद– बल्लभगढ़ कम्पलैक्स के नियन्त्रित क्षेत्र छोड़कर), पानीपत तेल रिफाइनरी (बहोली), तथा विकास योजना पृथला का भाग रूप बनने वाला नियन्त्रित क्षेत्र।			राज्य में घोषित सभी अन्य नियन्त्रित क्षेत्र		
	साथ लगते हुए			साथ लगते हुए			साथ लगते हुए			साथ लगते हुए		
उपयोग	एन. एच.	एस. आर / सैक्टर सड़क	अन्य सड़क	एन. एच.	एस. आर / सैक्टर सड़क्	अन्य सड़क	एन. एच.	एस. आर / सैक्टर सड़क	अन्य सड़क	एन. एच.	एस. आर / सैक्टर सड़क	अन्य सड़क
आवासीय	210	158	105	158	125	105	100	80	60	30	20	15
निम्न घनत्व पर्यावरण अनुकूल (लो डेनसिटि इको–फ्रेन्डलि) उपनिवेश	420	316	210	316	250	210	200	160	120	60	40	30
वाणिज्यिक												
(i) वाणिज्यिक परियोजना जैसे कि 1963 के अधिनियम संख्या 41 के उपबन्धों के अधीन प्रदान की गई 150 प्रतिशत फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए. आर) की अनुज्ञा के लिए बेंकट हाल सुविधा सहित मोटल, पांच सितारा होटल, रिजार्ट	4700	4500	4300	2600	2400	2200	1200	1100	800	350	300	250

(ii) अन्य वाणिज्यिक परियोजना जो ऊपर वर्णित नहीं हैं												
(क) 150 % एफ.ए. आर तक	1470	1260	1050	1260	1050	840	700	600	350	200	150	100
(ख) 150 % एफ.ए. आर से ऊपर	1715	1470	1225	1470	1225	980	816	700	408	235	175	116
औद्योगिक	100	100	100	80	80	80	50	50	50	30	30	30
एकीकृत अन्तर्देशीय आधान डिपो/ कस्टम परिबद्ध क्षेत्र	200	200	200	160	160	160	100	100	100	60	60	60
कृषि उत्पादों के लिए भाण्डागार	100	100	100	80	80	80	50	50	50	30	30	30
गैर कृषि उत्पादों के लिए भाण्डागार	150	150	150	120	120	120	75	75	75	45	45	45
संस्थागत	158	126	105	105	84	63	60	40	30	20	15	10
आमोद–प्रमोद	200	200	200	160	160	160	100	100	100	60	60	60

टिप्पण :–

1. प्रयुक्त संकेताक्षर दर्शाना एन0एच0: नेशनल हाईवे, एस0आर0– शैड्यूल रोड।
2. सैक्टर सड़कः विकास योजना पर दर्शाये अनुसार सैक्टर विभाजक सड़क है।
3. जहां भूमि का टुकड़ा स्थल एक प्रवर्ग से अधिक में पड़ता है, वहां पर उच्चतर/उच्चतम दर लागू होगी।
4. 50 प्रतिशत संपरिवर्तन प्रभार, उद्योग विभाग, हरियाणा द्वारा घोषित औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिए प्रभारित किये जायेंगे।
5. हरियाणा राज्य में अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई भी संपरिर्वतन प्रभार तथा संवीक्षा फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।
6. आमोद–प्रमोद परियोजना के भीतर वाणिज्यिक घटक जैसे कि होटल, प्रदर्शनी केन्द्रों, रेस्टोरैंट, सम्मेलन केन्द्र इत्यादि पर लागू वाणिज्यिक दरें प्रभारित की जाएंगी।''।

पी0 राघवेंद्र राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 10th August, 2015

No. Misc-1A/JE(VA)/2015/14650.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (I) read with Sub-section (2) of Section 25 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. M-57/2014/21063, dated the 3rd September, 2014, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Rules, 2015.
2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, for Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely :—-

"Schedule IV

[See rule 26-D (g)]

RATES OF CONVERSION CHARGES IN THE CONTROLLED AREAS IN THE STATE

(Rates in Rupees per square meter)

Potential Zone	Hyper Potential			High Potential			Medium Potential			Low Potential		
1	2			3			4			5		
Name of Controlled Area	Controlled areas forming part of the Development Plan Gurgaon-Manesar Urban Complex.			Controlled areas declared in Gurgaon District excluding the controlled areas forming part of the Development Plan Gurgaon-Manesar Urban Complex and controlled area forming part of Development Plan of Pataudi and Farukhnagar but including part of Sohna Development Plan, controlled areas of Faridabad-Ballabgarh Complex, controlled areas of Sonipat-Kundli Multifunctional Urban Complex, Panipat and periphery controlled area of Panchkula.			Controlled areas around towns i.e. Karnal, Kurukshetra, Ambala City, Ambala Cantt., Yamuna Nagar, Jagadhri, Bahadurgarh, Hisar, Rohtak, Rewari, Bawal-Dharuhera Complex, Gannaur, Palwal, Hodel, controlled areas declared in Faridabad District (excluding the controlled areas of Faridabad-Ballabgarh Complex), Oil refinery Panipat (Beholi) and Controlled Areas forming part of the Development Plan, Prithla.			All other controlled areas declared in the State.		
	Abutting on			Abutting on			Abutting on			Abutting on		
Use	NH	SR/ Sector Road	Other Road	NH	SR/ Sector Road	Other Road	NH	SR/ Sector Road	Other Road	NH	SR/ Sector Road	Other Road
Residential	210	158	105	158	125	105	100	80	60	30	20	15
Low Density Eco Friendly Colonies	420	316	210	316	250	210	200	160	120	60	40	30
Commercial												
(i) Commercial Projects like Motel with Banquet facility, 5-Star Hotel, Resort for 150% Floor Area Ratio (FAR) permission granted under provisions of Act No. 41 of 1963	4700	4500	4300	2600	2400	2200	1200	1100	800	350	300	250

(ii) Other Commercial Projects, which are not mentioned above.												
(a) upto 150% FAR	1470	1260	1050	1260	1050	840	700	600	350	200	150	100
(b) above 150% FAR	1715	1470	1225	1470	1225	980	816	700	408	235	175	116
Industrial	100	100	100	80	80	80	50	50	50	30	30	30
Integrated Inland Container Depots/Custom Bounded Areas	200	200	200	160	160	160	100	100	100	60	60	60
Warehouses for agro produces	100	100	100	80	80	80	50	50	50	30	30	30
Warehouses other than agricultural produces	150	150	150	120	120	120	75	75	75	45	45	45
Institutional	158	126	105	105	84	63	60	40	30	20	15	10
Recreational	200	200	200	160	160	160	100	100	100	60	60	60

Notes:

1. Abbreviations used indicate NH: National Highway; SR: Scheduled Road.
2. Sector Road is the Sector dividing road as indicated on the Development Plan.
3. Where a piece of land falls in more than one category, the Higher/Highest rate shall apply.
4. 50 percent conversion charges shall be charged for food processing unit located in industrially backward area declared by the Industries Department, Haryana.
5. No conversion charges and scrutiny fee shall be charged for renewable energy power projects in the State of Haryana.
6. The commercial components like hotels, exhibition centers, restaurants, convention centers etc. shall be charged at applicable commercial rates within the recreational projects.

P. RAGHAVENDRA RAO,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.